न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।

टी0 ए0 सं0–01/1996

	मो0 शाहिदा खातून एवं अन्य, **मोहल्ला–बागमली,थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— अपीलकर्तागण** **बनाम** **श्रीमती आभा गुप्ता एवं अन्य,** **मोहल्ला–बागमली, थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली —— उत्तरवादीगण।**	

Web Copy not Official

11.11.2022	**आदेश** **1.** अपीलकर्ता, उत्तरवादी प्रथम पक्ष एवं उत्तरवादी सं0–3बी की ओर से हाजरी दी गयी है। अपीलकर्ता की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–27.09.2022 एवं उत्तरवादी सं0–3 बी0 उपेन्द्र चौधरी की आरे से दाखिल समर्थन आवेदन दिनांक–30.09.2022 तथा उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–18.10.2022 पर आदेश हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया। **2.** अपीलकर्ता की ओर से दिनांक–27.09.2022 को एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि अपीलकर्ता ने श्रीमान् मुंसिफ प्रथम श्री विरेन्द्र सिंह द्वारा स्वत्व वाद सं0–119/1986/21/1986 में पारित निर्णय एवं डिकी के विरूद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत किया है। अपीलकर्ता का आगे कथन है कि अपील का प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी प्रथम पक्ष/वादी के कथनानुसार पुराना खेसरा सं0–13 का 1 कट्ठा उत्तरवारी अंश है जो नया खेसरा सं0–2028 के दक्षिणी अंश में शामिल हो गया है। जबकि अपीलकर्ता/प्रतिवादी प्रथम पक्ष के दावे के प्रतिकूल खेसरा सं0–2028 के उत्तरवारी 1 कठा भूमि पुराना खेसरा नं0–12 का अंश रकवा निम्न न्यायालय में कथन किया है। अपीलकर्ता का अपने आवेदन में आगे कथन है कि निम्न न्यायालय में स्वत्व वाद के विचारण के क्रम में उत्तरवादी प्रथम पक्ष/वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित पुराना खेसरा सं0–13, 12 एवं 14 के सन्दर्भ में जिस तरह कथन किया है उसी के आधार पर अपीलकर्ता अपनी ओर से उत्तर पत्र प्रस्तुत किया। वर्तमान अपील के विचारण के क्रम में अपीलकर्ता को यह जानकारी मिली कि पुराना खेसरा सं0–14, 13 एवं 12 से निर्मित नया सर्वे खेसरा के संदर्भ में उत्तरवादी प्रथम पक्ष/वादी एवं तारकेश्वर प्रसाद वगैरह के विरूद्ध स्वत्व वाद सं0–193/1982 श्रीमान् सब जज साहब के न्यायालय में चला था जिसमें कंचन देवी एवं उनके पति दशरथ प्रसाद गुप्ता प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 के रूप में अपनी ओर से उत्तर पत्र प्रस्तुत कर संघर्ष किये थे तथा उस वाद में कंचन देवी के पुत्र एवं आभा गुप्ता के पति शंभु नाथ गुप्ता खुद अधिवक्ता के रूप में उत्तर पत्र प्रस्तुत कर संघर्ष कर रहे थे तथा उक्त स्वत्व वाद–193/82 के उत्तर पत्र में दशरथ प्रसाद गुप्ता एवं कंचन देवी ने स्पष्ट कथन किया है कि पुराना खेसरा नं0–14 का जो 1 कठा भूमि वह जानिब पूरब से सड़क में शामिल हो गया है और पुराना खेसरा सं0–14 का उत्तरवारी अंश नया खेसरा सं0–2028 में शामिल नहीं है। अपीलकर्ता को उक्त स्वत्व वाद सं0–193/82 की जानकारी होने पर कंचन देवी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र का नकल बजाप्ता हासिल कर	क्रमाशः

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।

टी0 ए0 सं0–01/1996

मो0 शाहिदा खातून एवं अन्य,
मोहल्ला–बागमली,थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— अपीलकर्तागण

बनाम

श्रीमती आभा गुप्ता एवं अन्य,
मोहल्ला–बागमली, थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली —— उत्तरवादीगण।

Web Copy not official

लगातार 11.11.2022	वर्तमान वाद में दाखिल किया जिसके आलोक में उपरोक्त स्वत्व वाद की मांग की गई जो अभिलेख में संलग्न है। अपीलकर्ता का आगे अपने आवेदन में कथन है कि वर्तमान अपील में उत्तरवादी प्रथम पक्ष द्वारा स्वत्व वाद सं0–193/82 में प्रस्तुत दस्तावेज जो क्रमशः प्रदर्श–2, 2ए, 4 एवं 4ए है उसका हिन्दी रूपांतरित/अनुवादित कापी दाखिल की गयी है जिसके आधार पर कुछ दस्तावेज बंधक (सुदभरना) का दस्तावेज है जबकि निम्न न्यायालय में विचारण के क्रम में उस दस्तावेज को केवाला के रूप में व्याख्या की गई थी। वर्तमान अपील के विचारण के क्रम में जो तथ्य उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है तथा उत्तरवादी प्रथम पक्ष के दावा एवं अपीलकर्ता के दावा के आलोक में चंद दस्तावेज को प्रदर्श अंकित किया जाना एवं उसके आलोक में साक्ष्य ग्रहण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में स्वत्व वाद सं0–119/86/21/1986 को निम्न न्यायालय में रिमाण्ड किया जाय। **3.** अपीलकर्ता के उपरोक्त आवेदन का समर्थन आवेदन–सह–प्रत्युत्तर उत्तरवादी सं0–3बी0 उपेन्द्र चौधरी की ओर से दाखिल कर अपीलकर्ता के आवेदन का समर्थन करते हुए कहा गया है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से प्रदर्श–2, 2ए, 4 एवं 4ए की हिन्दी प्रति एवं स्वत्व वाद सं0–119/86 के अर्जीदावी के अवलोकन से जाहिर होगा कि वादी के द्वारा जो वाद लाया गया है केवाला से संबंधित था, मगर जब हिन्दी कापी कराया गया तो पता चला कि वह बंधक (सुदभरना) से संबधित दस्तावेज है जो कि हकीयत वाद सं0–119/86 में मुंसिफ प्रथम हाजीपुर के न्यायालय में पारित आदेश एवं डिक्री के विरूद्ध अपील वाद लाया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियों में स्वत्व वाद सं0–119/1986/21/1986 को उचित निर्देश के साथ रिमाण्ड करने का आदेश दिया जाय। **4.** अपीलकर्ता के उपरोक्त आवेदन का प्रत्युत्तर उत्तरवादी प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक–18.10.2022 को प्रत्युत्तर दाखिल कर निवेदन किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख को मुंसिफ प्रथम के यहाँ रिमाण्ड करने हेतु आवेदन दिया गया है जबकि कूननी प्रावधान के अनुसार बिना दोनों पक्षों को सुने अपील को खारिज, रिमाण्ड या स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता ने अपील के निष्पादन को विलम्बित करने हेतु दिनांक–26.08.2022 को समयावेदन दिया तथा दि0–27.09.2022 को बहस किया लेकिन अगली तिथि को अपील में बहस नहीं किया। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि पूर्व में अपीलकर्ता द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया जो कि दिनांक–26. 02.2021 को खारिज हुआ। उसके बाद अपीलकर्ता जानबूझकर अपील में बहस नहीं किया इसलिए

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।

टी0 ए0 सं0–01/1996

	मो0 शाहिदा खातून एवं अन्य, **मोहल्ला–बागमली,थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— अपीलकर्तागण** **बनाम** **श्रीमती आभा गुप्ता एवं अन्य,** **मोहल्ला–बागमली, थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली —— उत्तरवादीगण।**	

Web Copy not Official

लगातार 11.11.2022	दिनांक–25.10.2021 को उनका बहस बन्द कर दिया गया। यद्यपि अपीलकर्ता का सर्वे जानकार अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक–26.02.2021 को खारिज हुआ, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा पुनः उसी के लिए आवेदन दाखिल किया जो कि दिनांक–01.12.2021 को खारिज किया गया और न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा जानबूझकर अपील के निष्पादन को विलम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि पूर्व में दिनांक–27.02.2020 को उत्तरवादी द्वितीय पक्ष द्वारा भी इसी तरह का वाद को निम्न न्यायालय में रिमाण्ड करने हेतु दिया गया था। न्याया द्वारा दिनांक–07.02.2021 को अपीलकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह बहस करें अन्यथा अपील को खारिज कर दिया जायेगा। इस प्रकार निवेदन किया गया है कि अपीलकर्ता एवं उत्तरवादी द्वितीय पक्ष इस अपील वाद का निष्पादन विलम्बित करना चाहते हैं। अतः अपीलकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–27.09. 2022 खारिज किया जाय। **5.** उभय पक्ष को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा इस अपील वाद को मुंसिफ प्रथम के न्यायालय में रिमाण्ड करने का निवेदन किया गया है जिसका विरोध उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा किया गया है। अपीलकर्ता के मेमो आफ के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मेमो ऑफ अपील में कही इस बात की चर्चा नहीं है कि प्रस्तुत अपील विद्वान मुंसिफ प्रथम हाजीपुर के जिस स्वत्व वाद सं0–119/1986/21/1986 में पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध लाया गया है, उस स्वत्व वाद का आधार कथित केवाला था जबकि उक्त कथित बंधक केवाला सूद भरना था जो कि उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शों के हिन्दी रूपांतरण से स्पष्ट होता है। यहॉ यह स्पष्ट भी नहीं है कि उक्त हिन्दी रूपान्तरण की सत्यता और प्रमाणिकता कितनी है। और यदि यह तथ्य सही है तो अपीलकर्ता को इसके लिए उक्त कागजातों को सबूत प्रस्तुत करने हेतु अनुमति लेकर दाखिल करना चाहिए था। इसके लिए इस अपील वाद को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलकर्ता की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–27.09.2022 **खारिज** किया जाता है। यहॉ यह उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि अपीलकर्ता इस वाद में बहस करने से स्वयं भाग रहे हैं और येन–केन–प्रकारेन विभिन्न प्रकार का आवेदन देकर वाद के निष्पादन को विलम्बित करने का प्रयास करते रहे हैं। प्रस्तुत अपील वाद वर्ष 1996 का है और अभिलेख बहस हेतु चला आ रहा है। इस बीच अपीलकर्ता एव उत्तरवादी द्वितीय पक्ष द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकार का आवेदन एक से अधिक बार देकर वाद के निष्पादन को विलम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है। अपीलकर्ता द्वारा दिनांक–29.08.2014 को	

न्यायालय—अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—13, वैशाली, हाजीपुर।

<u>टी0 ए0 सं0—01/1996</u>

	मो0 शाहिदा खातून एवं अन्य, **मोहल्ला—बागमली,थाना—हाजीपुर नगर, जिला—वैशाली ——— अपीलकर्तागण** **बनाम** **श्रीमती आभा गुप्ता एवं अन्य,** **मोहल्ला—बागमली, थाना—हाजीपुर नगर, जिला—वैशाली —— उत्तरवादीगण।**	

Web Copy not Official

<u>लगातार</u> <u>11.11.2022</u>	प्रतिस्थापना आवेदन दिया गया जो दिनांक—06.12.2019 को 2000/— रूपये परिव्यय पर स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् अपीलकर्ता की ओर से दिनांक—21.01.2021 को सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की बहाली हेतु आवेदन दिया गया जिसे उभय पक्ष को सुनने के पश्चात् दिनांक—26.02.2021 को खारिज किया गया। पुनः अपीलकर्ता की ओर से दिनांक—21.11.2021 को सर्वे जानकार अधिवक्ता श्री अरूण कुमार सिन्हा द्वारा तैयार तुलनात्मक नक्शा एवं प्रतिवेदन को विलम्ब माफ करते हुए साक्ष्य में लिये जाने का आवेदन दिया जिसपर उभय पक्ष को सुनने के पश्चात दिनांक—01.12.2021 के आदेश खारिज किया गया। इसके पश्चात् उत्तरवादी प्रथम पक्ष द्वारा विद्वान जिला न्यायालयधीश, वैशाली के न्यायालय में न्यायालय पर यह आरोप लगाते हुए कि अपील वाद सं0—1/1996 में बहस नहीं सुना जा रहा है, इसलिए निष्पादन हेतु उसे किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु विविध वाद सं0—111/2022 दाखिल किया गया जिसमें विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा इस न्यायालय से प्रतिवेदन की मांग की गयी तथा इस न्यायालय से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् विविध वाद सं0—111/2022 को दिनांक—18.10.2022 को खारिज किया गया। इसी बीच विविध वाद के लम्बित रहने के दौरान अपीलकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत आवेदन दिनांक—27.09.2022 को प्रस्तुत अपील वाद को मुंसिफ प्रथम के न्यायालय में रिमाण्ड करने हेतु लाया गया है। दिनांक— 28.11.2022 बहस हेतु। **लेखापित,** **अपर सत्र न्यायाधीश—13,** **वैशाली, हाजीपुर।**	

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।

टी0 ए0 सं0–01/1996

	मो0 शाहिदा खातून एवं अन्य, मोहल्ला–बागमली,थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— अपीलकर्तागण बनाम श्रीमती आभा गुप्ता एवं अन्य, मोहल्ला–बागमली, थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली —— उत्तरवादीगण।	

Web Copy not Official